तत्काल

विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली

विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याःडी0ई0–25 (13) 179 वि0कार्य/2017–18/विभिन्न/खण्ड–II/965 दिनांक 04/06/18

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः– विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 01 दिनांक 06-06-18 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06-06-18 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त तारांकित /अतारांकित प्रश्न की 100 प्रतिलिपियॉ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

(विधाइी कार्य शाखा)

DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

तारांकित प्रश्न संख्या :– 01

दिनांक :– 06.06.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2009 में गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस की वृद्धि के मामले को अदालत में चुनौति दी गई थी;	जी हॉ, यह सत्य है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर 2009 में गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस की वृद्धि के मामलों को अदालत में चुनौती दी गई थी।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अभिभावक महासंघ व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य की 2009 की (डब्ल्यूपी (सी)7777, 8147, 8610 और 10801) में निर्णय के बाद जस्टिस अनील देव सिंह समिति ने 575 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस को 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया था;	अभी तक इस कमेटी (पूर्व नाम जस्टिस अनिल देव सिंह समिति) ने 10 अंतरिम रिपोर्ट और मासिक अंतरिम रिपोर्ट जून, 2016 से जनवरी, 2018 तक में 575 स्कूलों को बढी हुई फीस को 9% ब्याज सहित लौटाने की सिफारिश की है।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि सरकार अभी तक अभिभावकों को बढी हुई फीस वापस लौटाना सुनिश्चित करने में ना काम रही है;	जी नहीं।
(घ)	क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त आदेशों को लागू कराने में ना काम रहने के कारण सरकार के विरूद्ध न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है; और	जी नहीं।
(ड)	उपरोक्त 575 स्कूलों का उनके द्वारा लौटाई जाने वाली राशि सहित पूर्ण विवरण क्या है?	उपरोक्त सभी 575 स्कूलों की कमेटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर उपलब्ध है।

Scanned by CamScanner